

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 29.03.2022 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की आपात बैठक दिनांक 29.03.2022 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
03.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
05.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
06.	प्रो० एल.क्षी.के.एस. भास्कर	सदस्य
07.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
08.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
09.	प्रो० टी.क्षी. अर्जुनन	सदस्य
10.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० व्ही.एस. राठौड़	सदस्य
12.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
13.	डॉ० नीलकांत पानीग्रही	सदस्य
14.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
15.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
16.	डॉ० डॉ. के.के. चंद्रा	सदस्य
17.	डॉ० जय प्रकाश जायसवाल	सदस्य
18.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
19.	डॉ० पुष्पराज सिंह	सदस्य
20.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
21.	डॉ० संजीत सरदार	सदस्य
22.	डॉ० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
23.	डॉ० गोपा बागची	सदस्य
24.	डॉ० भारती अहिरवार	सदस्य
25.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
26.	डॉ० सुजीत कुमार	सदस्य
27.	प्रो० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
28.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
29.	डॉ० देवेन्द्र पटेल	सदस्य
30.	डॉ० ए.के. चन्द्राकर	सदस्य
31.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
32.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
33.	डॉ० सोमा दास	सदस्य
34.	प्रो० एस.सी. श्रीवास्तव	सदस्य


29/03/2022


29/03/22

35.	प्रो० हरीश कुमार	सदस्य
36.	प्रो० प्रदीप शुक्ला	सदस्य
37.	प्रो० एम.के. सिंह (ऑन लाईन उपस्थित)	सदस्य
38.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
39.	प्रो० एस.एन. साहा	सदस्य
40.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
41.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
42.	डॉ० अरुण कुमार सिंह	सदस्य
43.	डॉ० व्ही.व्ही.एस.सूर्य कुमार दादी	सदस्य
44.	डॉ० एस.एस. धुरिया	सदस्य
45.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
46.	श्री दिलिप झा	सदस्य
47.	डॉ० विकास कुमार पाण्डेय	सदस्य
48.	डॉ० डॉ० राघवेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
49.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
50.	डॉ० ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	सदस्य
51.	प्रो० टंकेश्वर कुमार, कुलपति, के.वि.वि., हरियाणा (ऑन लाईन उपस्थित)	सदस्य
52.	श्री दीपक शर्मा, भोपाल (ऑन लाईन उपस्थित)	सदस्य
53.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० संजीत कुमार गुप्ता, आचार्य, गोरखपुर
02. श्री महेन्द्र कुमार, वाराणसी
03. श्री प्रदीप देशपाण्डे, बिलासपुर

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आहवान किया कि विश्वविद्यालय को वैशिक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 16.02.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की आवश्यक बैठक दिनांक 16.02.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र.-02 विद्यापरिषद की आवश्यक बैठक दिनांक 16.02.2022 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद की आवश्यक बैठक दिनांक 16.02.2022 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए एवं सूचना ग्रहण की।

2

विषय क्र.-03

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2022, 08.03.2022 एवं 15.03.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2022, 08.03.2022 एवं 15.03.2022 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-04

विभिन्न अध्ययन मण्डलों की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद् के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैव प्रौद्योगिकी, संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं भौतिकी विषय के अध्ययन मण्डलों के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।
विद्यापरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र.-05

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.03.2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-06

CAS के तहत जिन शिक्षकों का 2008–09 में प्रोन्नयन लम्बित है, उनके लंबित प्रकरणों के परीक्षण हेतु एवं लागू होने वाले विनियमों के निर्धारण के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।
विद्यापरिषद् ने समिति द्वारा सुझाये गये दोनों बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की, चर्चा उपरान्त विद्यापरिषद् द्वारा समिति के सुझाये गये बिन्दु क्रमांक-1 में संशोधन उपरान्त निम्नानुसार प्रावधान का अनुमोदन किया गया :—

"In view of part-II of clause 1.3 of UGC regulation 2010, CAS promotions of those teachers governed by the UGC regulation and whose eligibility is prior to 31st December 2008, their cases may be regulated as per relevant clauses of UGC regulation 2000."

विद्यापरिषद् द्वारा समिति के सुझाये गये बिन्दु क्रमांक-2 को यथावत् अनुमोदित किया गया।

विषय क्र.-07

विश्वविद्यालय का संभावित नौवा दीक्षांत समारोह दिनांक 20.04.2022 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने की सूचना ग्रहण करना।
विद्यापरिषद् ने दीक्षांत समारोह आयोजन की सूचना तथा उक्त दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के संबंध में जानकारी ग्रहण की एवं यह निर्णय लिया कि दीक्षांत समारोह आयोजन के संबंध में यथोचित निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद् की ओर से अधिकृत रहेंगे।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की 12वीं बैठक दिनांक 25.01.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की 12वीं बैठक दिनांक 25.01.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

एक वर्ष में प्रकाशित उत्तम शोध पत्रों का मूल्यांकन कर सर्वोत्तम शोध पत्र प्रकाशित करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि एक वर्ष में प्रकाशित उत्तम शोध पत्रों का मूल्यांकन कर सर्वोत्तम शोध पत्र प्रकाशित करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन किया जाय।

विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्यापकों/शोध छात्रों द्वारा उल्लेखनीय अध्यापन कार्य, शोध कार्य एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले अध्यापकों/शोध छात्रों के मूल्यांकन करने हेतु एक फेमवर्क का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रावधानों का बैठक में हुई चर्चानुसार परीक्षण हेतु समिति को लौटा दिया जाय। समिति परीक्षण एवं पुनर्विचार कर अपना प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन (ए.क्यू.ए.आर.)/2020-21 के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन (ए.क्यू.ए.आर.)/2020-21 का अनुमोदन किया जाय।

विश्वविद्यालय में स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत सिविल विभाग में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव एवं अध्यादेश के प्रारूप पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत सिविल विभाग में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव एवं अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के पूर्व सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय एवं विनियामक निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

29/03/2022

पूरक कार्यसूची

पूरक वि.क्र. 01.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्थायी केंद्रीय अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना के लिए रुपये 11,267.62 लाख के बजट की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्थायी केंद्रीय अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना के लिए रुपये 11,267.62 लाख के बजट की स्वीकृति/अनुमोदन संबंधी सूचना ग्रहण की गई एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


अ.वि.क्र. 01.

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रवेश के संबंध में प्रस्तुत जानकारी एवं प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा एन.टी.ए. को प्रेषित की गई जानकारी पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में सी.यू.ई.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु मैपिंग का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि प्रवेश सूचना प्रारूप एवं सीट मैट्रिक्स 2022–23 का भी अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह और भी निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक उम्मिदवारों की जानकारी के लिए सी.यू.ई.टी. प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सचिव ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।



(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)
कुलपति / अध्यक्ष



(प्रो० शीलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव